प्रेस नोट
दिनांकः 06.11.2026

थाना छपिया पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

दिनांक 05.11.2026 को थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में देखभाल, रोकथाम जुर्म जरायम एवं दीपावली त्योहार के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम पाण्डेयपुर चौराहे पर मौजूद थी, तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि रानीजोत नहर के रास्ते से दो संदिग्ध व्यक्ति मस्कनवा की तरफ आ रहे हैं, जिनके पास अवैध वस्तु हो सकती है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम पाण्डेयपुर नहर पुलिया के पास पहुंची तथा आने वाले व्यक्तियों का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद दो व्यक्ति पैदल आते दिखाई दिए, पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों की तलाशी लेने पर एक अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर तथा दूसरे अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. भानु प्रताप सिंह पुत्र स्व0 पंजाबी सिंह निवासी ग्राम परसहर, थाना धनघटा, जनपद संतकबीरनगर, हाल मुकाम ग्राम शिवपुर, पोस्ट महाराजगंज, थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती।
2. राजू पुत्र स्व0 अयोध्या प्रसाद निवासी नारायनपुर तिवारी, पोस्ट महाराजगंज, थाना हरैया, जनपद बस्ती।

बरामदगी-

1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर (अभियुक्त भानु प्रताप सिंह के कब्जे से)।
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर (अभियुक्त राजू के कब्जे से)।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0- 377/2026, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना छपिया, जनपद गोण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिनव भरत सिंह
2. का0 नीलेश यादव
3. का0 प्रभाकर यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः 06.11.2026

यातायात माह के तहत यातायात पुलिस द्वारा 105 ई-रिक्शों का किया गया सत्यापन, वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक-

यातायात माह नवम्बर-2026 के दृष्टिगत दिनांक 05.11.2026 को क्षेत्राधिकारी यातायात की उपस्थिति में प्रभारी यातायात द्वारा यातायात पुलिस टीम के साथ जनपद गोण्डा के शहरी क्षेत्र में बिना सत्यापन के संचालित हो रहे ई-रिक्शों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 105 ई-रिक्शों का सत्यापन किया गया तथा उनके आवश्यक अभिलेखों एवं वाहन संबंधी विवरणों की जांच की गई। इस दौरान ई-रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाने, वाहन को निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करने, सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन न चलाने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही चालकों को वाहन के आवश्यक प्रपत्र पूर्ण रखने एवं बिना सत्यापन के ई-रिक्शा का संचालन न करने के संबंध में आवश्यक हिदायत दी गई।

गोण्डा पुलिस की अपील—

गोण्डा पुलिस आमजन एवं समस्त ई-रिक्शा चालकों से अपील करती है कि यातायात नियमों का पालन करें, अपने वाहनों का आवश्यक सत्यापन कराएं तथा सड़क पर सुरक्षित एवं जिम्मेदार तरीके से वाहन चलाएं। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें एवं दूसरों को भी सुरक्षित रखें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः 06.11.2026

थाना तरबगंज पुसिल द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 283/2026 धारा 352/351(3)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल मिश्रा पुत्र जगदम्बा मिश्रा निवासी बढ़ईपुरवा, मौजा सिंगहाचन्दा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की तलाश में उपनिरीक्षक उपेन्द्र यादव मय हमराह पुलिस बल गुजरात के सूरत शहर गए थे, जहां डीडोसी पुलिस स्टेशन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अभियुक्त की तलाश की गई, लेकिन जानकारी हुई कि अभियुक्त दीपावली पर्व के कारण अपने घर वापस आ गया है। इसके पश्चात पुलिस टीम द्वारा जनपद गोण्डा वापस आकर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर नरायनपुर पुल के पास घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ लिया गया। अभियुक्त ने पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिसकर्मियों द्वारा मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2026 को थाना तरबगंज क्षेत्र की एक महिला द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री दिनांक 07.09.2026 को विद्यालय से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में राहुल मिश्रा पुत्र जगदम्बा मिश्रा निवासी बढ़ईपुरवा, मौजा सिंगहाचन्दा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राहुल मिश्रा पुत्र जगदम्बा मिश्रा, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी बढ़ईपुरवा, मौजा सिंगहाचन्दा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 283/2026 धारा 352/351(3)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 उपेन्द्र यादव
2. का0 यशवन्त यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः 06.11.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा एवं जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही/घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.11.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध देशी तमंचा लेकर महेशपुर गांव से हाईवे की तरफ जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल महेशपुर गांव स्थित रेलवे अण्डरपास पुलिया के पास पहुंची, पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम देवानन्द उर्फ देवेन्दर पुत्र विजय प्रताप, निवासी ग्राम अशोकपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा बताया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना नवाबगंज पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. देवानन्द उर्फ देवेन्दर पुत्र विजय प्रताप, निवासी ग्राम अशोकपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर।
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3. 100 रुपये के 02 नोट (कुल 200 रुपये)।

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 372/2026, धारा 03/25 आर्म्स एक्ट, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

अभियुक्त देवानन्द उर्फ देवेन्दर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 428/2011 धारा 380/411 भा0द0वि0, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 297/2013 धारा 457/380/411 भा0द0वि0, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।
3. मु0अ0सं0 124/2016 धारा 380/411 भा0द0वि0, जनपद अयोध्या।
4. मु0अ0सं0 104/2016 धारा 380/411 भा0द0वि0, जनपद अयोध्या।
5. मु0अ0सं0 108/2016 धारा 380/411 भा0द0वि0, जनपद अयोध्या।
6. मु0अ0सं0 124/16 धारा 380/411 भा0द0वि0, जीआरपी फैजाबाद।
7. मु0अ0सं0 108/16 धारा 380/411 भा0द0वि0, जीआरपी फैजाबाद।
8. मु0अ0सं0 104/16 धारा 380/411 भा0द0वि0, जीआरपी फैजाबाद।
9. मु0अ0सं0 55/17 धारा 380/411 भा0द0वि0, जीआरपी फैजाबाद।
10. मु0अ0सं0 71/17 धारा 40/380/411/401/304 भा0द0वि0, जीआरपी फैजाबाद।
11. मु0अ0सं0 404/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।
12. मु0अ0सं0 403/2022 धारा 41/411 भा0द0वि0, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।
13. मु0अ0सं0 400/2022 धारा 379/411 भा0द0वि0, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

14. मु0अ0सं0 396/2022 धारा 457/380/411 भा0द0वि0, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।
15. मु0अ0सं0 24/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अमरजीत सोनकर, चौकी प्रभारी सरयूघाट।
2. हे0का0 अशोक यादव।
3. हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह।
4. हे0का0 विजय सिंह यादव।
5. हे0का0 कैलाश पटेल।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांकः 06.11.2026

थाना कौडिया पुलिस द्वारा अवैध पटाखों का भण्डारण एवं बिक्री करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में पटाखे बरामद-

कार्यवाही—

आज दिनांक 06.11.2026 को थाना कौड़िया पुलिस के उ0नि0 अमन कन्नौजिया, चौकी प्रभारी आर्यनगर, मय हमराह पुलिस बल के साथ रात्रि गश्त मे रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर पृथ्वीनाथ मोड़ स्थित गोदाम पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान गोदाम से एक बोरी में 555 अदद पटाखे (सुतली बम) एवं 01 कार्टून थैले में विभिन्न प्रकार के अन्य पटाखे बरामद हुए। मौके पर मौजूद अभियुक्त फैयाज उपरोक्त से पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री से सम्बन्धित वैध लाइसेंस मांगा गया, किन्तु वह कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियुक्त द्वारा बिना वैध लाइसेंस के पटाखों का भण्डारण किए जाने एवं उनके असुरक्षित रख-रखाव के सम्बन्ध में थाना कौड़िया पर मु0अ0सं0 270/2026 धारा 9B विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं धारा 288 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01- फैयाज पुत्र महरूम, निवासी ग्राम बीरपुर भोज, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 270/2026 धारा 9B विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं धारा 288 बीएनएस, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

1. एक बोरी में 555 अदद पटाखे (सुतली बम)।
2. 01 कार्टून थैले में विभिन्न प्रकार के अन्य पटाखे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 अमन कन्नौजिया।
2. हे0का0 नागेन्द्र प्रसाद।
3. का0 जसीम अहमद।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः 06.11.2026

थाना नवाबगंज पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध विरूद्ध बडी कार्यवाही, 820 लीटर अवैध कच्ची शराब व एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाही एवं घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.11.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान ग्राम जैतपुर मांझा में दबिश दी गई। दबिश के दौरान विष्णु के घर के पीछे तीन व्यक्ति अपाचे मोटरसाइकिल पर कच्ची शराब की बोरियां लादते हुए दिखाई दिए। पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को देखकर तीनों व्यक्ति मौके से नदी की तरफ भाग गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों से जानकारी करने पर भागने वाले व्यक्तियों की पहचान 1. विष्णु पुत्र रामकुमार उर्फ कुमारे, 2. श्याम बाबू पुत्र भगवान एवं 3. पप्पू पुत्र सुरेश, निवासीगण ग्राम जैतपुर मांझा, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा के रूप में हुई। मौके से कुल 820 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा एक अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP43BD6515 बरामद की गई। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 पंजीकृत कर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. 820 लीटर अवैध कच्ची शराब।
2. एक अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP43BD6515।

बरामदगी करने वाली संयुक्त टीम-

1. प्रमोद सिंह, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3, तरबगंज।
2. उ0नि0 अहमद हुसैन, थाना नवाबगंज।
3. हे0का0 अंगद यादव, थाना नवाबगंज।
4. का0 दीपेन्द्र प्रताप सिंह, थाना नवाबगंज।
5. का0 लालूराम, थाना नवाबगंज।
6. का0 अभिनव पाण्डेय, थाना नवाबगंज।
7. का0 नागेन्द्र यादव, थाना नवाबगंज।
8. रामबोध राम, प्रधान आबकारी सिपाही।
9. अनिल कुमार सिंह, आबकारी सिपाही।
10. हमजा खाँ, आबकारी सिपाही।
11. सुमन पटेल, आबकारी सिपाही।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 06.11.2026

धनतेरस त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु गोण्डा पुलिस द्वारा किया गया पैदल गश्त एवं सुरक्षा का जायजा-

आज दिनांक 06.11.2026 को धनतेरस त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनमानस में सुरक्षा का भाव जागृत करने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सर्राफा बाजार सहित प्रमुख बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। इस दौरान बाजारों एवं प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी गई तथा आमजनमानस एवं व्यापारियों को सुरक्षित वातावरण का भरोसा दिलाया गया। इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल के अंतर्गत तथा समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल के साथ प्रमुख बाजारों, सर्राफा प्रतिष्ठानों, भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त एवं भ्रमण किया गया। इस दौरान बाजारों में यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधों एवं पुलिस की सक्रियता का जायजा लिया गया तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को सतर्कता एवं मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया।धनतेरस त्यौहार के दौरान बाजारों में खरीदारी हेतु आने वाले नागरिकों, व्यापारियों एवं महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा निरंतर भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

गोण्डा पुलिस द्वारा त्यौहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जनपद में सतर्क दृष्टि रखते हुए निरंतर पुलिस गश्त एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

मीडिया सेल, गोण्डा।